

रीख
वम

हुक्म का कार्रवाई मध्य इमिग्रेशन जज

बन्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुए।

पहलायें बंगाल हुनुमान

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

13.01.2021 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध
प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो
आराजी विवादित खसरा नं० 200/0.16, 209/0.23,
210/0.12, 211/0.06, 212/0.09, 213/0.10,
217/0.07, 220/0.95 वाकें ग्राम खिरत का वास तह०
राजगढ को को जबरन बेदखल न करें, निर्माण न करें,
उपयोग व उपभोग में रूकावट मजाहमत पैदा न करें,
साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र का प्रस्तुत
दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 10.03.2021 तक
पाबन्द किया जाता है वो वादीगण के क्यूक व
निवर्तमान कब्जे शुदा आराजी तक आम बरफत में
मजाहमत पैदा नही करने एवं बिना विधिक प्रक्रिया
अपनाये निर्माण कार्य नही करें। साथ में अप्रार्थीगणो को
नोटिस से तलब भी किया जावे कि उन्हे इस संबध में
कोई आक्षेप हो तो दिनांक 10.03.2021 को उपस्थित
न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

10/3/21 बकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी
1 से 7, 11, 14, 15 बाद बुचना
तामिल उप० बही आये उन्ही
तरफ से एकतरफा कार्यवाही
की जाती है वास्ते तलबी शेष
अप्रार्थी 8, 12, 13, 16 से 21 दि०
22/4/21 को पेश करें

22/4/21
अभिभावक सम्बल में कार्य
इधरित किया है दिनांक 27/12/21
S.D.O.

तारीख क्रम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुजूम या कार्यवाही मग इतिशियलर जग	मग न तारीख अहकाम जो हुम हुम की तारीख में तारी हुम।
---------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

04-12-2024
 पत्रायली पेश। वास्ते जवाब
 पेशे एकांक दिनांक 05/02/25 की
 पेशे हो।

S 000

05/02/25
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
 व्यस्त है। पत्रायली दिनांक 05/04/25
 को पेश हो।

सेडर

06/8/25
 पत्रायली पेश। वकील जवाब
 उपर। वास्ते जवाब पेशे दिनांक
 25/9/25 को पेशे हो।

S 000

25/09/25
 पत्रायली पेश। भूलवाद Note-
 press के तहत खारिज किया जा
 चुका है। अब: प्रार्थना पत्र 21.2 RT
 Act की कार्यवाही वेद की जाती है।
 पत्रायली नम्बर से कम होकर
 बाद पूर्व भूलवाद के साथ
 संपन्न हो।

S 000